

Maitreya College of Education & Management


Shaping Education

Affiliated to Aryabhata Knowledge University, Patna

Research papers / articles per teacher published in Journals notified on UGC website during the last five years

Year	Title of paper	Name of the author/s	Name of journal	Year of publication	ISBN/ISSN number
2019	STUDY OF ATTITUDE TOWARDS SEX EDUCATION OF UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHER	NIKKI KUMARI & DR. SHIVKANT SHARMA	INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS(IJRAR)	FEB. 2019	2348-1269, 2349-5138
2019	SHIKSHAYI HINDI KI VIKASH YATRA	PROF.GYANDEO MANI TRIPATHI	SHODHMANTHAN	2019	0976-5255
2020	CURRENT TRENDS OF RESEARCH IN TEACHER EDUCATION	NIKKI KUMARI	NIBANDH MALA	Apr-20	2277-2359
2020	उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन	NIKKI KUMARI & DR. SHIVKANT SHARMA	SHODH SARITA	DEC. 2020	2348-2397
2020	अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में छात्रों का हिन्दी के प्रति मनोवृत्ति	NIKKI KUMARI	JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION	JUNE. 2020	2347-5676, 2582-2357
2021	AWARENESS WITHIN THE STUDENTS OF TEACHER TOWARDS RIGHT OF CHILDREN	AJAY KUMAR SINGH	INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)	Feb. 2021	2320-2882
2022	DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF WOMEN RIGHTS AWARENESS TEST	AJAY KUMAR SINGH & DR. SHAILENDRA SINGH	JOURNAL OF FUNDAMENTAL & COMPARATIVE RESEARCH	Sept. 2022	2320-7700
2022	DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF CHILD RIGHTS AWARENESS TEST	AJAY KUMAR SINGH & DR. SHAILENDRA SINGH	SHODHASAMHIA	July, 2022	2277-7067
2022	पर्यावरण शिक्षा के प्रति बी.एड. प्रशिक्षुओं की मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन	NIKKI KUMARI	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENHANCED RESEARCH IN EDUCATIONAL DEVELOPMENT	OCT., 2022	2320-8708

DR. GYANDEO MANI TRIPATHI


 20.05.2023
 PRINCIPAL
 MAITREYA COLLEGE OF EDUCATION
 MANAGEMENT HAJIPUR, BIHAR

Signature



ISSN - 2348-2397
APPROVED UGC CARE
FFSSHODH SARITA
SHODH SARITA
Vol. 7, Issue 28, October-December, 2020
Page Nos. 61-63

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

**उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन
शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन**Nikki Kumari*
Dr. Shivkant Sharma****शोध सारांश**

किशोरावस्था जीवन का वह संगम है, जहाँ एक ओर यौवन का बसंत दरवाजे पर दस्तक देता है और दूसरी तरफ यौन कुंठा के भारी भूकम्प के क्षतके। किशोरावस्था में होने वाले यौन विकास का प्रभाव व्यक्ति के सभी पक्षों पर पड़ता है तथा इससे संबंधित भ्रांतियां एवं गलत सूचनाएं किशोर को गहराई से प्रभावित करती हैं। यौन शिक्षा के अभाव में किशोरों में गलत सूचनाओं, यौन संक्रमित रोग, यौन अपराध की आशंका सर्वाधिक होती है। इसलिए यौन शिक्षा का पैकेज होना जरूरी है जिससे वे स्वस्थ व्यवहार के प्रतिरूप को अपना सकें। आज के किशोर वर्ग को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता का पता लगाना है। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें संबंधित अध्ययन के लिए वैशाली जिले के 14 स्कूलों के 153 शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयन किया गया है। शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता को मापने के लिए स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है। इससे संबंधित सभी परिकल्पनाओं का सांख्यिकी परीक्षण किया गया एवं निष्कर्ष में पाया गया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति लिंग तथा विद्यालय के प्रकार के आधार पर जागरूकता में सार्थक अंतर है।

Keywords: किशोरावस्था, अध्यापक, यौन शिक्षा, जागरूकता इत्यादि।**प्रस्तावना**

बचपन और वयस्कता के बीच महत्वपूर्ण समय को ही किशोरावस्था कहा जाता है। बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते लड़के लड़कियों में हार्मोन्स की वजह से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक बदलाव होते हैं। यह समय यौवन के आसपास का होता है। इस समय किशोरों को अनेक मानसिक तनाव, दबाव व यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। किशोरावस्था जीवन का वह संगम है, जहाँ एक ओर यौवन का बसंत दरवाजे पर दस्तक देता है और दूसरी ओर यौन कुंठा के भारी भूकम्प के क्षतके। किशोरावस्था में होने वाले यौन विकास का प्रभाव व्यक्ति के प्रभाव व्यक्ति के सभी पक्षों पर पड़ता है तथा इससे संबंधित भ्रांतियां एवं गलत सूचनाएं किशोर को गहराई से प्रभावित करती हैं। विवाह पूर्व यौन संबंधों में वृद्धि हो रही है। किशोर-किशोरियों में यौन स्वच्छन्दता बढ़ रही है, जिससे एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी फैल रही है।

'सेक्स एजुकेशन' कि विशेष आवश्यकता किशोरावस्था को है। यदि देखा जाये तो यह वह उम्र है जो 'सेक्स लाईफ' को अधिकतम जिज्ञासा से देखती है, जो अधिकतम संक्रमण के दौर

से गुजर रही है। शारीरिक-यौनिक विकास एवं परिवर्तन, विपरीत लिंगी आकर्षण, शारीरिक संबंधों के प्रति जिज्ञासा उन्हें शारीरिक संबंधों की ओर ले जाती है जो विधिक यौनजनित रोगों (एसटीडी) उपहार में देती है। शारीरिक-यौनिक विकास एवं परिवर्तन को समझने की चेष्टा में वे किसी गलत जानकारी, बीमारी का शिकार न हों, एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों के बाहक न बनें इसके लिए इस उम्र के लोगों को 'सेक्स एजुकेशन' की आवश्यकता है। 'यौन शिक्षा' का प्रयाप्त अभाव इस आयु वर्ग के लोगों को यौनिक जानकारी की प्राप्ति के लिए अपने मित्रों, ब्लू फिल्मों, पोर्न विडियो आदि से करवाती है जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इन स्रोतों से जानकारीयों भ्रम कि स्थिति उत्पन्न करने के साथ-साथ शारीरिक उत्तेजना भी पैदा करती है जो अवांछित संबंधों, बाल शारीरिक शोषण, अप्राकृतिक संबंधों आदि का कारक बनती है। अपनी शारीरिक-यौनिक, इच्छापूर्ति मात्र के लिए किया गया शारीरिक-संसर्ग टीनएज प्रेगनेन्सी, गर्भपातों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं में एसटीडी, एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों को तीव्रता से फैलाता है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली अकेले में एसटीडी, क्लीनिक में

*Ph.D. Scholar - Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan

**Department of Education - Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan

उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन

Nikki Kumari, Ph.D. Scholar.

Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan.

सार :-

किशोरावस्था वह समय होता है जब लड़के व लड़कियाँ विभिन्न प्रकार के यौन व्यवहार विषमलिंगीय, समलिंगीय, हस्तमैथुन आदि आरम्भ करते हैं। यौन शिक्षा के आभाव में किशोरों में गलत सूचनाओं, यौन संक्रमित रोग, यौन अपराध की आशंका सर्वाधिक होती है। इसलिए यौन शिक्षा का पैकेज होना जरूरी है जिससे वे स्वस्थ व्यवहार के प्रतिरूप को अपना सकें। आज के किशोर वर्ग को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति का पता लगाना है। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें सम्बन्धित अध्ययन के लिए वैशाली जिले के 14 स्कूलों के 153 शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयन किया गया है। शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति को मापने के लिए स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है। इससे सम्बन्धित सभी परिकल्पनाओं का सांख्यिकी परीक्षण किया गया एवं निष्कर्ष में पाया गया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति लिंग तथा विद्यालय के प्रकार के आधार पर मनोवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

मूल शब्द :- किशोरावस्था, अध्यापक, यौन शिक्षा, मनोवृत्ति इत्यादि।

प्रस्तावना :

किशोरावस्था जीवन का रोमांचक काल है। इस अवस्था में किशोरों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। यौन जीवन का एक अनमोल विशेषाधिकार माना गया है जो जिम्मेदारियों के साथ प्रयुक्त होता है। यौन शिक्षा केवल जानकारी प्रदान नहीं करती बल्कि मूल्यों व्यवहारों और मानकों का संदेश है। शिक्षक किशोरों के व्यक्तित्व को आकर देने में भूमिका निभाते हैं। 11-19 वर्ष की आयु को अक्सर हर्षोल्लास और संवेगात्मक असंतुलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस आयु में होने वाले शारीरिक बदलाव यौन भावना को तीव्र कर देते हैं, दिवास्वप्न किशोर देखने लगते हैं, हार्मोन सम्बन्धी असंतुलन से उनमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी व तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले यौन विकास का प्रभाव व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर पड़ता है तथा इससे सम्बन्धित भ्रातियाँ एवं गलत सूचनाएं किशोर को गहराई से प्रभावित करती हैं। विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों में वृद्धि हो रही है। किशोर-किशोरियों में यौन स्वच्छन्दता बढ़ रही है, जिससे एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी फैल रही है। ऐसी स्थिति में यौन शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि शिक्षक अपने दैनिक क्रिया-कलापों में इन किशोर छात्र-छात्राओं के साथ विभिन्न प्रकार के अनुभव ग्रहण करता है तथा उनकी शैक्षिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं यौन सम्बन्धी समस्याओं तथा व्यवहारों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। इस अवस्था में होने वाले तनाव, उत्तेजना आदि से निपटने के लिए इस पीढ़ी को विशेष रूप से मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अतः यौन शिक्षा के प्रति किशोरों को जागरूक कर सकते हैं।

Maitreya College of Education & Management

Shaping Education

Affiliated to Aryabhata Knowledge University, Patna

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138
An International Open Access Journal

Certificate of Publication

The Board of International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) is hereby awarding this certificate to **Nikki Kumari** in recognition of the publication of the paper entitled **Study of Attitude towards Sex Education of Upper Secondary School Teachers.**

Published In IJRAR (www.ijrar.org) UGC Approved (Journal No : 45602) & 5.75 Impact Factor
Volume 6 Issue 1, Date of Publication: February 2019 2019-02-15 09:53:40

PAPER ID : IJRAR2001313
Registration ID : 214941

UGC and ISSN Approved - International Peer Reviewed Journal, Refereed Journal, Indexed Journal, Impact Factor: 5.75 Google Scholar

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS | IJRAR
An International Open Access Journal | Approved by ISSN and UGC
Website: www.ijrar.org | Email id: editor@ijrar.org | ESTD: 2014

R.B. Joshi
EDITOR IN CHIEF

IJRAR | E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138

CS Scanned with CamScanner



**अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में छात्रों का
हिंदी के प्रति मनोवृत्ति**

निक्की

सार

मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन भाषा है। इसके अभाव में मनुष्य पशु के समान ही अपना जीवन व्यतीत करता है। किसी भी विषय का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को भाषा का ज्ञान दिया जाता है ताकि वे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी अपने विचारों को दूसरों पर अभिव्यक्त करता है। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। 14 सितम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को अखण्ड भारत की प्रशासनिक भाषा के ओहदे से नवाजा था। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज देश की यही राष्ट्रभाषा स्वयं अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। अंग्रेजी के प्रचार प्रसार ने मानो हिंदी से उसका अधिकार छीन लिया है, हिंदी में बोलना अपने स्टेटस को कम करने जैसा है।

इस अध्ययन का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के छात्रों का हिंदी के प्रति मनोवृत्ति पता लगाना है। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें सम्बन्धित अध्ययन के लिए पटना के छः अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के 153 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। आंकड़ों के संग्रह



पर्यावरण शिक्षा के प्रति बी.एड. प्रशिक्षुओं की मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Nikki Kumari

Maitreya College of Education and Management, Hajipur

सार

पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव-पर्यावरण के अंतर्संबंधों की व्याख्या करना तथा उन संपूर्ण घटकों का विवेचन करना है जो पृथ्वी पर जीवन को परिचालित करते हैं इसमें मात्र मानव जीवन ही नहीं अपितु जीव-जंतु एवं वनस्पति भी सम्मिलित हैं। मानव, तकनीकी विकास एवं पर्यावरण के अंतर्संबंधों से जो पारिस्थितिकी चक्र बनता है और वह संपूर्ण क्रिया-कलापों और विकास को नियंत्रित करता है। यदि इनमें संतुलन रहता है तो सब कुछ सामान्य गति से चलता रहता है, किंतु किसी कारण से यदि इनमें व्यतिक्रम आता है तो पर्यावरण का स्वरूप विकृत होने लगता है और उसका हानिकारक प्रभाव न केवल जीव जगत् अपितु पर्यावरण के घटकों पर भी होता है। वर्तमान में यह क्रम तीव्रता से हो रहा है। औद्योगिक तकनीकी, वैज्ञानिक, परिवहन विकास की होड़ में हम यह भूल गये थे कि ये साधन पर्यावरण को प्रदूषित कर मानव जाति एवं अन्य जीवों के लिये मकड़ का कारण बन जायेंगे। कुछ समय विचार-विनिमय में बीतता गया, तर्क-वितर्क चलता रहा तथा पर्यावरण अवकर्षण में वृद्धि होती गई। इसी के साथ 'पर्यावरण शिक्षा' का विचार भी बल पकड़ने लगा, क्योंकि इससे पूर्व पर्यावरण का विभिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न परिवेशों में अध्ययन किया जाता था। अब यह सभी स्वीकार करते हैं कि पर्यावरण को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिये जिससे छात्रों में प्रारंभिक काल से ही पर्यावरण चेतना जागृत की जा सके।

मूल शब्द : पर्यावरण शिक्षा, मनोवृत्ति, प्रशिक्षु आदि

प्रस्तावना

पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन-समुदाय को पर्यावरण जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण बोध को पुष्ट करती है, पर्यावरण कठिनाइयों के कारण और निवारण का मार्ग ढूँढती है तथा भविष्य की कठिनाइयों से आगाह कर जीवन को निरापद बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। पर्यावरणीय शिक्षा मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को संतुलित बनाती है।

पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण सम्बन्धी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान ढूँढने और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की रोकथाम के लिये आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर पर्यावरण समस्याओं से निजात पाने का मार्ग ढूँढा जा सकता है और भविष्य की कठिनाइयों को जाना जा सकता है।

**पर्यावरण शिक्षा का अर्थ**

पर्यावरण शिक्षा का सरल अर्थ वह शिक्षा है, जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्द्धन और सुधार की व्याख्या करती है। मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आपको ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाए उसका संरक्षण करें। यही संचेतना हमें पर्यावरण शिक्षा से मिलती है। पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध करती है और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

इसमें पर्यावरण के विभिन्न पक्षों व घटकों का मानव के साथ अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवमण्डलीय पारिस्थितिक तन्त्र को प्रभावित करने वाले घटकों की भी जानकारी मिलती है।

पर्यावरण शिक्षा को एक निश्चित परिभाषा के दायरे में बाँधना बड़ा कठिन है।

पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा

चैरमैन टेलर के अनुसार- "पर्यावरण शिक्षा को सद्गागरिकता का विकास करती है। और इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में लापकारी, प्रेरणा और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं।"

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एज्यूकेशन रिसर्च के अनुसार - शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना होता है, जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके।"

ब्रेसिंग महोदय के अनुसार - "पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के विषय क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में कम परिभाषित है। फिर भी वह सर्वमान्य है कि पर्यावरण शिक्षा बहुविध होनी चाहिए, जिसमें जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों से सामग्री प्राप्त होती है। इस शिक्षा के लिए सम्प्रत्यात्मक विधि सर्वोत्तम है।"

पर्यावरण शिक्षा के प्रकार

1. औपचारिक पर्यावरण शिक्षा - औपचारिक पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण के पात्र छात्र-छात्राएं, कार्यरत कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण के प्रति अभिरुचि रखने वाले पढ़े-लिखे लोग होते हैं।

2. अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा - अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा मुख्यतः अनपढ़ लोगों को प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों की अतिरिक्त कम पढ़े-लिखे और काम-धन्धों में लगे लोगों को भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण इन्हें ऐसे तरीकों से शिक्षित किया जाता है, ताकि वे पर्यावरण के विविध पक्षों को समझ सकें।

पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता

पर्यावरण संकट व समस्याओं की व्यापकता व विस्तार से ग्रस्त व भयभीत सम्पूर्ण मानवता को बचाने, उसकी रक्षा करने, व भविष्य को सुखी बनाने हेतु पर्यावरण शिक्षा आज की प्राथमिक आवश्यकता है। यदि इस शिक्षा की उपेक्षा कर दी जाये तो जन-जन में पर्यावरण अवबोध व गुणवत्ता बनाये रखने की चेतना जागृत नहीं होगी और पर्यावरण व पारिस्थितिक का असन्तुलन निरन्तर बढ़ता जायेगा जिससे ओजोन परत पर छिद्र बड़ा होने से सूर्य की पराबैगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगेगी, मृदा की उर्वरक धारण शक्ति कम हो जाने से उपज न होगी। पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेगा और तापीय प्रदूषण उत्पन्न होने तथा कल- कारखाने व अन्य साधनों से इतना अधिक शोर होगा कि कान फटने लगेंगे। संक्षेप में मानव अपंग व अशक्त हो जायेगा। अतः इन समस्त संकटों व समस्याओं से बचने के लिए तथा मानव का सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।



AWARENESS WITHIN THE STUDENTS OF TEACHER TOWARDS RIGHT OF CHILDREN

Ajay Kumar Singh

Research Scholar

P.G.College, Ghazipur, U.P.

(Affiliated to V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur, U.P.)

ABSTRACT

Children are rightful citizens who are entitled to have same rights as any other individual. Children's right are human right same as human rights, children's right are constituted by fundamental guarantees. The United Nations Convention on the Rights of Children (UNCRC) is a legally-binding international agreement setting out the civil, political, economic, social and cultural rights of every child. In constitution of India, there are various legal provisions, policies, government schemes and programmes beneficial to the safety and welfare of children in India. Dispute of various impressive achievements recorded over the past years, there are many children still far away from their rights to survival, protection and development too. There are many things like poverty, malnutrition inadequate health care, trafficking, physical and sexual harassment and so on continue to hamper children's right in many part of India and the rest world. This study attempts to gang awareness level of students of teacher education who have almost completed two years Teacher Training course. The researcher call for concerted efforts to promote children's right awareness among future teachers through different means.

Keywords: Children's Right, Protection, Development, Student-Teacher awareness.

Introduction:

Children have the right to their own identity. They are the future of humanity. Childhood must be happy and loving for all the children. But the scenario of reality about happy childhood is quite different children face every day life with violence, poverty, abuse, exploitation, injustice, crime and discrimination in India and other part of the world. They suffer from acute hunger and homelessness high infant mortality insufficient health and life care and limited opportunities for basic education. They also forced to live in crisis, to work in harmful conditions. The most basic needs of children are referred to as right. Children's rights are the subset of human rights with particular attention to the rights of special protection and care afforded to minors. Children rights are specialized human rights that apply to all human beings below the age of 18. According to the United

Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC 1989). Child rights are minimum entitlements and freedoms that should be afforded to all persons below the age of 18 regardless of race, colour, gender, language, religion, opinions, origins, wealth, birth status or ability and therefore apply to all people everywhere. Children's rights included their right to association with both parents, human identity as well as the basic needs for physical protection, food, universal education, health care, criminal laws appropriate for the age and development of the child, equal protection of the child's civil rights and freedom from discrimination on the basis of the child's race, gender, sexual orientation, gender identity national origin, religion, disability, colour, ethnicity or other characteristics. The United Nation finds these rights interdependent and indivisible, meaning that a right cannot be fulfilled at the expenses of another right. The purpose of the UNCRC is to outline the basic human rights that should be afforded to children. Interpretations of children's rights range from allowing children the capacity for autonomous action to the enforcement of children being physically, mentally and emotionally free from abuse. The four broad classifications of these rights are:-

1. **Right to Survival:** Children's right to survival begins before a child is born. According to Government of India, a child's life begins after twenty weeks of conception. Hence the right to survival is inclusive of the child's rights to be born, right to minimum standards of food, shelter and clothing and the right to live with dignity.
2. **Right to Protection:** A child has the right to be protected from exploitation, neglect and abuse at home and elsewhere.
3. **Right to Participation:** A child has a right to participate in any decision making that involves him/herself directly or indirectly. There are varying degrees of participation as per the age and maturity of the child.
4. **Right to Development:** Children have the right to develop in all forms emotionally, mentally and physically. Emotional development is fulfilled by proper care and love of a support system, mental development through education and learning, physical development through recreation, play and nutrition. These four categories cover all civil, political, social, economic and cultural rights of every child.

Need and Significance of the Study

The students of teacher education could be responsible for the creation of a nation. If they will be aware towards the rights of the children, they can teach their students more efficiently. Lack of awareness towards child rights signalled a harmful situation for their students and the society too. This present study has a great need and importance as it assesses the impact of both the aspects—awareness and lack of awareness among the students of teacher education for the rights of children.

Objectives of the Study

The objective of the present study is:-

- To assess the basic child rights.
- To find out the extent of child rights awareness among the students of teacher education.
- To find out the extent of lack of awareness regarding child rights awareness among the students of teacher education.

Phalanx: A Quarterly Review for Continuing Debate
Vol-17, No-3, July - September, 2022
(UGC Care Listed Journal) ISSN: 2320-7700




Fig. 1: Dimensions of Women rights awareness test

2. Collection of Items

It is the second step of the tool development. At this stage the researcher creates a pool of items for the test. 33 Items belonging to the above mentioned 3 dimensions are written. The researcher took help from various research works like Baptiste, Kapungu, Khare, Lewis & Barlow-Mosha (2010), Kavitha (2010), Perkins, Rahman, Siddique, Mazumader, Haider & Arife (2019), Rani, Bhatiya & Sharma (2020), etc. for item writing.

3. Preparation of First draft

First draft of the tool comprises of 33 multiple choice questions under the heading 'Women rights awareness test'. Essential instructions for the administration of the test was also written. Space for personal information was also given. Thus, the first draft of the tool was developed.

4. Editing of the first draft

The researcher gave the test to 15 experts. They belong to the field of Psychology, Education, Law and English. They were requested to provide their kind opinions and suggestions regarding the adequateness and relevance of the items of the questionnaire. Suggestions regarding the language of the items in questionnaire were also requested from the experts. The researcher kept the suggestions given by the experts into the consideration at the time of editing the items of the questionnaire.

5. Pre-try out

After editing the test, the researcher administered it on the 50 students of teacher education. He recorded the difficulties raised by the respondents during giving responses on the items of questionnaire.

6. Development of second draft

The researcher revised the test in order to develop the second draft of the test. On the basis of the difficulties aroused by the respondents, 3 items were deleted from the test due to its vague nature as reported by the respondents and experts. Therefore, the second draft of the test consisted 30 items.

Phalanx: A Quarterly Review for Continuing Debate

Vol-17, No-3, July - September, 2022
(UGC Care Listed Journal) ISSN: 2320-7700

7. Try-out

The researcher administered the second draft of the test on randomly selected sample of 120 students of teacher education. It has been done for try-out of the test. The researcher introduced the purpose of the test to the respondents and instructed them in a conducive condition of testing. Further, he requested them to response on the test. He collected the question booklet cum answer sheet after the completion of the test. All question booklets cum answer sheet were scored with the help of scoring key. One mark is allotted for each correct answer and 0 was allotted for each incorrect answer. Sum total of the all correct answers is the total score of a respondent. A master chart was prepared on the basis of the scores of the respondents on the test.

8. Item analysis

It is the process to check the suitability of the items for the test. It can be done by computing difficulty value and discrimination power for each item of the test. For the present test the researcher calculated the same for 120 students of teacher education. Following steps have been taken to compute the difficulty value and discriminating power:

- (i) Total score of each student on women rights awareness test was computed;
- (ii) On the basis of the total score, the data were sorted in ascending order;
- (iii) Out of 120 students, 27% of student, i.e., 32 (27% of 120 = 32) high scorer and 32 low scorer respondents were cut and taken in consideration for item analysis.
- (iv) Thus, two groups of respondents were made for analysis, i.e., high scorer group and low scorer group.
- (v) Further, number of right responses for each items in both the groups were counted.
- (vi) difficulty value and discriminating power have been computed with the help of following formula:

$$D.V. = 100 - \frac{RH + RL}{2n} \times 100$$

$$D.P. = \frac{RH - RL}{n}$$

Here, D. V. = Difficulty Value;

D.P. = Discriminating Power;

RH = Number of Right Responses in High Scorer Group;

RL = Number of Right Responses in Low Scorer Group; and

n = Number of respondent in high or low group

Number of Right Responses in High Scorer Group, Number of Right Responses in Low Scorer Group, Difficulty value, Discriminating power and decision for each item are given in table no. 1.

DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF CHILD RIGHTS AWARENESS TEST

Ajay Kumar Singh* Dr. Shailendra Singh**

*Research Scholar, Department of B.Ed., Post Graduate College Ghazipur, Uttar Pradesh

**Assistant Professor, Department of B.Ed., Post Graduate College Ghazipur, Uttar Pradesh

Abstract

The present paper describes the development and standardization of a multiple choice questionnaire entitled "Child Rights Awareness Test". The purpose of the development of test is to measure the awareness of child rights. Procedure of the tool development was followed completely during its development.

Keywords: Awareness, Child Rights, Child Rights Awareness Test

Introduction

Children are the future of any nation. They must be grown up in a conducive environment. But, the present scenario is quite opposite. They are being exploited either willingly or unwillingly. Various forms of their exploitation are present in each society, whether it is national or international. But action against their exploitation are not being seen. In most of the cases, complaints against the assailants are not registered. Laws have been formulated to prevent it at national level as well as global level too. The government of most of the nations and United nations are rigorously trying to stop that. United nations conventions on child rights held in 1989, which came into force in 1990, declared rights of children and promises to protect the rights of children. Even in India, there are so many laws like child marriage prohibition act, Child labour act, right to education, etc. But exploitation is still going on. Its one of the causes is unawareness of child rights. Most of the people (adults and children both) are unaware of these rights. They are also unaware of the various forms of child rights violation. So making them aware is important. This questionnaire measures the awareness of child rights, so that efforts can be made to increase the level of awareness.

Statement of the problem

The problem is stated as following:

"Development and Standardization of Child Rights Awareness Test"

Objectives

The major objectives of the study are following:

1. To construct a child rights Awareness test; and
2. To standardize child rights awareness test with reference to its reliability, validity and norms.

Steps taken in construction and standardization of child rights awareness test

Following steps have been taken to develop the child rights 'awareness test:

1. Deciding Format of the tool

It is the first and foremost step of the tool development. The researcher decides that what kind of tool he or she is going to develop. In other words, it can be said that the researcher, at this step, decides that whether the tool will be the questionnaire, a rating scale, an interview

schedule or some other kind of tool. Further, the researcher also decides the dimensions of the tool at this stage. In the present study, the tool used for measuring the awareness of child rights among students of teacher education programme is a multiple choice questionnaire. Dimensions of the tool are following:




Fig. 1: Dimensions of Child rights awareness test

2. Collection of Items

It is the second step of the tool development. At this stage the researcher creates a pool of items for the test. 39 Items belonging to the above mentioned 3 dimensions are written. The researcher took help from Rojas (2005), Rutkiewicz (2000), Sahoo (2002), Sengupta et al. (2013), etc. for item writing.

3. Preparation of First draft

First draft of the tool comprises of 39 multiple choice questions under the heading 'Child rights awareness test'. Essential instructions for the administration of the test was also written. Space for personal information was also given. Thus, the first draft of the test was developed.

4. Editing of the first draft

The researcher gave the test to 15 experts. They belong to the field of Psychology, Education, law and English. They were requested to provide their kind opinions and suggestions regarding the adequateness and relevance of the items of the questionnaire. Suggestions regarding the language of the items in questionnaire were also requested from the experts. The researcher kept the suggestions given by the experts into the consideration at the time of editing the items of the questionnaire.

5. Pre-try out

After editing the test, the researcher administered it on the 50 students of teacher education. He recorded the difficulties raised by the respondents during giving responses on the items of questionnaire.

अध्यापक शिक्षा – शोध की नवीन प्रवृत्तियां
(Current Trends of Research in Teacher Education)**NIKKI KUMARI****Ph.D. Scholar****सार:-**

शिक्षण को एक प्रतिष्ठित व्यवसाय का नाम दिया जाता है | समाज में ऐसे किसी व्यवसाय को इतना उच्च स्थान नहीं दिया गया है जितना शिक्षण को दिया गया है | एक प्रभावी तथा अच्छा शिक्षक होने के अतिरिक्त यह बहुत महत्वपूर्ण है की शिक्षक को स्वयं को बेहतर और छात्रों के भविष्य के लिए कुछ निश्चित सामाजिक रूप से स्वीकार्य गुणों, लक्षणों और अपेक्षाओं को अवश्य धारण करना चाहिए | शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है | यदि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना है तो अध्यापक शिक्षा को उसका मुख्य बिंदु बनाना होगा | किसी राष्ट्र के विकास में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है | शिक्षा के समस्याओं के समाधान हेतु किसी प्रकार का परिवर्तन तभी सम्भव है जबकि समस्याओं का निराकरण हो तथा उसमें सुधार लाया जायें | अध्यापक शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों एवं आयामों का विकास विदेशों में हुआ है | उनका प्रयोग भारत की अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन एवं सुधार के रूप में किया जा सकता है | अध्यापक शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां जैसे- अन्तःविषयक आयाम, इन्टरनशिप कार्यक्रम, सामुदायिक जीवन, अनुकरणीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, कक्षा अन्तःक्रिया विज्ञेपण, सामूहिक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसन्धान इत्यादि |

मूल शब्द :- अध्यापक शिक्षा, अन्तःविषयक आयाम, इन्टरनशिप कार्यक्रम, अनुकरणीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, कक्षा अन्तःक्रिया विज्ञेपण, सामूहिक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसन्धान इत्यादि |

प्रस्तावना :-


अध्यापक , शैक्षणिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और शिक्षा के आयोजन के लिये एक मुख्य साधन है । अध्यापक का उल्लेख करते समय हम इनमें शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों , औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में पूर्णकालिक अध्यापकों , अनौपचारिक तथा प्रौढ शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों , दूरस्थ अध्ययन के विभिन्न तकनीकों के माध्यम से शिक्षा देने में कार्यरत अध्यापकों और स्वैच्छिक तथा अंशकालिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल करते हैं , जो किसी विशिष्ट अवधि में विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए । नियुक्त किय गये हों । जहाँ तक शैक्षिक संस्थाओं में पूर्णकालीन अध्यापकों का संबंध है , उनकी प्रमुख भूमिका अपने छात्रों का न केवल

कक्षा - कक्ष और ट्यूटोरियल में ही शिक्षण और मार्गदर्शन करना है और हमेशा रहेगी बल्कि निजी सम्पकों और उनके अन्य तरीकों से अपने छात्रों का चरित्र निर्माण करना है। अध्यापकों से सभी स्तरों पर अनुसंधान करने या उसकी प्रोन्नति, प्रयोग और नवनिर्माण करने की आशा की जाती है। विस्तार और समाज सेवा में अध्यापकों की अपरिहार्य भूमिका होती है। उन्हें विविध प्रकार की सेवाओं और कार्यकलापों के प्रबन्ध में भाग लेना होता है।

वस्तुतः शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना है तो अध्यापक शिक्षा को उसका मुख्य बिंदु बनाना होगा। किसी राष्ट्र के विकास में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के समस्याओं के समाधान हेतु किसी प्रकार का परिवर्तन तभी सम्भव है जबकि समस्याओं का निराकरण हो तथा उसमें सुधार लाया जायें। अध्यापक शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों एवं आयामों का विकास विदेशों में हुआ है। उनका प्रयोग भारत की अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन एवं सुधार के रूप में किया जा सकता है।

अध्यापक शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ एवं आयाम :-

1. अन्तः अनुशासन उपागम (Interdisciplinary Approach)
2. शिक्षण में इण्टर्नशिप (Internship in Teaching)
3. सामुदायिक जीवन (Community Life)
4. अभिविन्यास - पाठ्यक्रम (Orientation Course)
5. पत्राचार शिक्षा (Correspondence Courses)
6. क्रियात्मक - अनुसन्धान (Action Research)
7. सूक्ष्म - शिक्षण (Micro - Teaching)
8. अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण (Simulated Social Skill Training)
9. अन्तःक्रिया विश्लेषण (Interaction Analysis)
- 10.समूह शिक्षण (Team Teaching)
- 11.अभिक्रमित अनुदेशन (Programmed Instruction)

DR. GYANDEO MANI TRIPATHI
20.05.2023
PRINCIPAL
MAITREYA COLLEGE OF EDUCATION
MANAGEMENT HAJIPUR, BIHAR

Signature